विधान परषिद के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-14 का उत्तर

14	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या मुख्यमंत्री बतायेगें कि प्रदेश में संविदा भर्ती की प्रक्रिया/ नियमावली क्या है?	वर्तमान में संविदा भर्ती की कोई नीति नही है।
(ख)	उक्त संविदा भर्ती कर्मचारियों का कार्यकाल कितने माह बाद बढ़ाया जाता है?	उपरोक्तानुसार।
(ग)	क्या उक्त कर्मचारियों को नियमित कराने पर विचार करेंगे?	संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के विनियमितीकरण के संबंध में दिनांक 12-09-2016 को "उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोकसेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग और समूह-घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016" प्रख्यापित की गई है तथा शासनादेश दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 निर्गत किया गया है, जिसमे यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह "ग" और समूह "घ" के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में निरंतर लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो, वह सरकारी विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर विनियमितीकरण हेतु पात्र होगा।
(घ)	यदि नही, तो क्यो ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री।